

बिहार सरकार
आपदा प्रबंधन विभाग

प्रेषक,

अनिरुद्ध कुमार, प्रा0प्र0में0

अपर सचिव ।

सेवा में,

जिला पदाधिकारी,

किशनगंज/अररिया/पूर्णिया/कटिहार/पूर्वी चम्पारण/पश्चिम चम्पारण/दरभंगा/मधुबनी/
सीतामढ़ी/शिवहर/सुपौल/मधेपुरा/मुजफ्फरपुर/गोपालगंज/सहरसा/
खगड़िया/सारण/समस्तीपुर/सीवान ।

पटना-15, दिनांक- 30/8/17

विषय:-वर्तमान वित्तीय वर्ष-2017-18 में स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय मुख्य शीर्ष-2245-प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत, उपमुख्य शीर्ष-02-बाढ़-चक्रवात आदि, लघुशीर्ष-112- जनसंख्या का निष्क्रमण, उपशीर्ष-0002- जनसंख्या का निष्क्रमण, विपत्र कोड-39-2245021120002 के अन्तर्गत कुल ₹ 5709.00 लाख (सन्तावन करोड़ नौ लाख रूपये) मात्र आवंटन की स्वीकृति।

आदेश:- स्वीकृत ।

2. इस राशि का व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2017-18 में स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय मुख्य शीर्ष 2245-प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत, उपमुख्य शीर्ष-02-बाढ़-चक्रवात आदि, लघुशीर्ष-112- जनसंख्या का निष्क्रमण, उपशीर्ष-0002- जनसंख्या का निष्क्रमण मद के अन्तर्गत पुनर्विनियोग स्वीकृत्यादेश संख्या 2407/आ0प्र0 दिनांक 17.08.17 तथा वित्त विभाग, बिहार के ज्ञापांक -ब-17/बी0सी0एफ0 आपदा-161/2017/24 सी0एफ0 दिनांक -30.08.17 तथा विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या -266/आ0प्र0 दिनांक -30.08.17 द्वारा बिहार आकस्मिकता निधि से स्वीकृत राशि से विकलनीय होगा।

3. आवंटित/ पूर्व आवंटित राशि का जिलावार विवरणी लघुशीर्ष / उपशीर्षवार निम्न प्रकार है :

लघु शीर्ष -112-- जनसंख्या का निष्क्रमण माँग संख्या-39

उपशीर्ष -0002- जनसंख्या का निष्क्रमण ।

विस्तृत शीर्ष-35-राहत, विषय शीर्ष-01 नगद /वस्तु ।

(राशि रूपये लाख में)

क्र०	जिला	पूर्व आवंटन (वित्तीय वर्ष 2017-18)	वर्तमान आवंटन (वित्तीय वर्ष 2017-18)	आवंटन का योग (वित्तीय वर्ष 2017-18)
1.	2.	3	4	5
1	किशनगंज	270.00 (दो करोड़ सत्तर लाख)	356.00 (तीन करोड़ छप्पन लाख)	626.00 (छः करोड़ छब्बीस लाख)
2	अररिया	270.00 (दो करोड़ सत्तर लाख)	618.00 (छः करोड़ अठारह लाख)	888.00 (आठ करोड़ अठ्ठासी लाख)
3	पूर्णिया	375.00 (तीन करोड़ पचहत्तर लाख)	435.00 (चार करोड़ पैंतीस लाख)	810.00 (आठ करोड़ दस लाख)
4	कटिहार	274.581 (दो करोड़ चौहत्तर लाख अनठावन हजार एक सौ)	566.00 (पाँच करोड़ छियासठ लाख)	840.581 (आठ करोड़ चालीस लाख अनठावन हजार एक सौ)
5	पूर्वी चम्पारण	225.00 (दो करोड़ पच्चीस लाख)	851.00 (आठ करोड़ इक्यावन लाख)	1076.00 (दस करोड़ छिहत्तर लाख)
6	पश्चिम चम्पारण	205.00 (दो करोड़ पाँच लाख)	254.00 (दो करोड़ चौवन लाख)	459.00 (चार करोड़ उनसठ लाख)
7	दरभंगा	190.00 (एक करोड़ नब्बे लाख)	739.00 (सात करोड़ उनचालीस लाख)	929.00 (नौ करोड़ उनतीस लाख)
8	मधुबनी	200.00 (दो करोड़)	270.00 (दो करोड़ सत्तर लाख)	470.00 (चार करोड़ सत्तर लाख)

9	सीतामढी	245.00 (दो करोड़ पैंतालीस लाख)	803.00 (आठ करोड़ तीन लाख)	1048.00 (दस करोड़ अड़तालीस लाख)
10	शिवहर	110.00 (एक करोड़ दस लाख)	57.00 (सन्तावन लाख)	167.00 (एक करोड़ सड़सठ लाख)
11	सुपौल	220.00 (दो करोड़ बीस लाख)	140.00 (एक करोड़ चालीस लाख)	360.00 (तीन करोड़ साठ लाख)
12	मधेपुरा	80.00 (अस्सी लाख)	87.00 (सतासी लाख)	167.00 (एक करोड़ सड़सठ लाख)
13	मुजफ्फरपुर	185.00 (एक करोड़ पचासी लाख)	167.00 (एक करोड़ सड़सठ लाख)	352.00 (तीन करोड़ बावन लाख)
14	गोपालगंज	100.00 (एक करोड़)	121.00 (एक करोड़ इक्कीस लाख)	221.00 (दो करोड़ इक्कीस लाख)
15	सहरसा	130.00 (एक करोड़ तीस लाख)	116.00 (एक करोड़ सोलह लाख)	246.00 (दो करोड़ छियालीस लाख)
16	खगडिया	80.00 (अस्सी लाख)	57.00 (सन्तावन लाख)	137.00 (एक करोड़ सैंतीस लाख)
17	सारण	90.00 (नब्बे लाख)	54.00 (चौवन लाख)	144.00 (एक करोड़ चौवालीस लाख)
18	समस्तीपुर	115.755 (एक करोड़ पंद्रह लाख पचहत्तर हजार पाँच सौ)	14.00 (चौदह लाख)	129.755 (एक करोड़ उनतीस लाख पचहत्तर हजार पाँच सौ)
19	सीवान	70.00 (सत्तर लाख)	4.00 (चार लाख)	74.00 (चौहत्तर लाख)
कुल योग		3435.336 (चौतीस करोड़ पैतीस लाख तेतीस हजार छः सौ)	5709.00 (सन्तावन करोड़ नौ लाख)	9144.336 (इक्यानवे करोड़ चौवालीस लाख तेतीस हजार छः सौ)

4. यह आवंटन आसन्न बाढ़ के मद्देनजर प्रभावित क्षेत्रों में राहत कार्य चलाने हेतु उपलब्ध बजट उपबंध के आलोक में निर्गत किया जा रहा है।

5. आवंटित राशि का व्यय उसी मद में किया जाय जिस मद के लिए राशि का आवंटन किया गया है। किसी भी अन्य मद में इस राशि का विचलन नहीं किया जाय अन्यथा इसके लिए निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी ही जिम्मेवार होंगे।

6. आवंटित की गई राशि की निकासी यथासंभव Fully Vouched Bill के माध्यम से ही की जाय। अपरिहार्य कारणवश ही राशि की अग्रिम निकासी ए0सी0 विपत्र के माध्यम से की जाय। अग्रिम तौर पर निकासी के बाद व्यय की गई राशि का डी0सी0 बिल महालेखाकार कार्यालय, बिहार, पटना को बिहार वित्त नियमावली के प्रावधानों के अनुसार निर्धारित समय सीमा में भेजते हुए उसकी प्रति, व्यय प्रतिवेदन एवं भारत सरकार के विहित प्रपत्र में उपयोगिता प्रमाण पत्र इस विभाग को शीघ्रातिशीघ्र एवं अचूक रूप से दिनांक 15.03.2018 तक अवश्य भेज दिया जाय।

7. पूर्व आवंटित राशि, जिसकी निकासी अग्रिम तौर पर की गई है, यदि पूर्णतः व्यय नहीं हो पाय, तो 15.03.2018 तक उसे कोषागार में जमा करा दिया जाय।

8. आवंटित राशि की निकासी से संबंधित विपत्र पर मुख्य बजट शीर्ष/ उप मुख्य शीर्ष- लघु शीर्ष/ उपशीर्ष तथा विपत्र कोड का उल्लेख स्पष्ट रूप से की जाय। विपत्र पर सही शीर्ष/ उपशीर्ष का मुहर लगाया जाय अन्यथा आंकड़ों के त्रुटिपूर्ण वर्गीकरण की सारी जिम्मेवारी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।


9. इस राशि का व्यय वित्त विभागीय ज्ञापांक 2561/वि0(2) दिनांक-17.04.98 के आलोक में की जाय। व्यय की गई राशि का महालेखाकार कार्यालय से नियमित रूप से मिलान कराया जाय। व्यय होनेवाली राशि के लिये तैयार किये गए विपत्र/ विपत्रों के ऊपर बड़े अक्षरों में लाल स्याही से " 8000-आकस्मिकता निधि " अंकित कराया जाय।


10. यदि उपरोक्त आवंटित राशि का व्यय इस वित्तीय वर्ष में नहीं हो सके, तो अवशेष राशि का प्रत्यर्पण दिनांक 15.03.2018 तक निश्चित रूप से कर दें अन्यथा इसके लिए निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी ही जिम्मेवार होंगे। राशि की निकासी कर बैंक खाते में नहीं रखी जाय।

11. इस आवंटन आदेश के प्राप्ति के पश्चात पत्र की एक प्रति पर "आवंटन प्राप्त हुआ", यह सम्पुष्टि उल्लिखित करते हुए तुरंत रिटर्न फैंक्स से विभाग को सूचित किया जाय।


12. इस आवंटन की सूचना महालेखाकार, बिहार, पटना, वित्त (बजट) को भी दी जा रही है। इसकी प्रतिलिपि संबंधित कोषागार पदाधिकारी को दी जा रही है।

13. मासिक व्यय प्रतिवेदन प्रत्येक माह की 7वीं तारीख तक अनिवार्य रूप से भेजना सुनिश्चित किया जाय।


बिहार राज्यपाल के आदेश से

अपर सचिव

ज्ञापांक - 78 /आ0प्र0, पटना-15, दिनांक- 30/8/17
प्रतिलिपि: महालेखाकार, बिहार, पटना/ वित्त विभाग (बजट), बिहार/मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

अपर सचिव


ज्ञापांक - 78 /आ0प्र0, पटना-15, दिनांक- 30/8/17
प्रतिलिपि: संबंधित जिला कोषागार पदाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ तथा आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


अपर सचिव


ज्ञापांक - 78 /आ0प्र0, पटना-15, दिनांक- 30/8/17
प्रतिलिपि: संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त, बिहार को सूचनार्थ तथा आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


अपर सचिव

ज्ञापांक - 78 /आ0प्र0, पटना-15, दिनांक- 30/8/17
प्रतिलिपि: माननीय मंत्री, आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार के आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।


अपर सचिव

ज्ञापांक - 78 /आ0प्र0, पटना-15, दिनांक- 30/8/17
प्रतिलिपि: विभागीय प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव/ विशेष कार्य पदाधिकारी (बजट)/ प्रशाखा पदाधिकारी (स्थापना)-सह- प्रभारी सांख्यिकी पदाधिकारी/ प्रशाखा पदाधिकारी (बजट)/ कार्यवाह सहायक/ आई0टी0 मैनेजर/प्रभारी, राज्य आपातकालीन संचालन केन्द्र को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


अपर सचिव